2.0 AUG 2014
...torate General
...s. Rajasthan, Jaipur
सामान्य

Circulate to all

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–2)विभाग

क्रमांक एफ. 1(ग)(13)गृह–2/03 जयपुर, दिनांक 19 AUG 2014

महानिदेशक कारागार,
राज0 जयपुर।

विषयः–बन्दी की मृत्यु पर अंतिम संस्कार हेतु व्यय की स्वीकृति बाबत।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक सामान्य/11/1997/28888 दिनांक 27.09.2013 एवं क्रमांक 2497 दिनांक 16.04.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार बंदी कल्याण निधि नियम, 1964 में अधिसूचना दिनांक 21.02.1974 से किये गये संशोधन के बिन्दु संख्या 5(ड) के क्रम में निम्नांनुसार प्रत्येक ऐसे मामले में अधिकतम राशि रूपये 5,000/– (अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) तक की बंदी कल्याण कोष से व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. कारागृह में निरूद्ध बंदी की मृत्यु हो जाने पर उसकी देह को जेल से उसके घर तक पहुंचाने के न्यूनतम मार्ग व्यय की राशि उपलब्ध कराना, यदि कारागार अधीक्षक/उप अधीक्षक की राय में मृतक बंदी के परिवारजन की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ऐसा किया जाना उचित है, एवं,
2. कारागृह में निरूद्ध बन्दी के परिवारजनों द्वारा उसकी देह को प्राप्त नहीं करने की स्थिति में उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हेतु।

भवदीय,

(चेतन देवडा)
संयुक्त शासन सचिव, गृह(जेल)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा),राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, कारागार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, गृह(जेल)